जिला शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान, खरगोन (म.प्र.)
बी.टी.आय.परिसर, बावड़ी बस स्टेण्ड, खरगोन
Phone No. (O) 07282-235802
Web site : www.educationportal.mp.gov.in Email : zskkhrmp@mp.gov.in,

क्रमांक / एसएसए / आरटीई / 2020 / 842 खरगोन, दिनांकः 28/07/2020

महत्वपूर्ण

प्रति,

प्रधान पाठक / संचालक
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्था ....
विकासखण्ड .... समस्त

विषयः आरटीई अंतर्गत दर्ज बच्चों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक एवं नाम भिन्न के संबंध में एवं आरटीई अंतर्गत फीस स्ट्रक्चरं की सही ज़ानकारी दर्ज करने एवं दर्ज फीस के ही प्रमाणित दस्तावेज अपलोड के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके द्वारा आरटीई अंतर्गत आनलाईन स्कूल का प्रपोजल बनाया जाता है। जिसमें स्कूल लॉगिन से आनलाईन /आफलाईन दर्ज बच्चें के नाम में स्पेलिंग़ मिस्टेक होने य़ा नाम भिन्न होने से रिक्वेस्ट प्रेषित की जाती है। आपके द्वारा प्रेषित रिक्वेस्ट के पश्चात इस कार्यालय में बच्चे के नाम से संबंधित आवश्यक समस्त दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति जमा करावे तत्पश्चात ही एप्रुंव की कार्यवाही की जा सकेंगी।

2. आंरटीई कार्य हेतु आपके द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों से ली जाने वाली फीस की भी आनलाईन इंट्री की जाकर प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किया जाकर लॉक किया जाता है। यहा स्पष्ट है कि जिस वर्ष का प्रपेाजल बनाया जा रहा है उसी वर्ष की फीस का इंदाज कक्षावार किया जाकर प्रमाणित फीस स्ट्रक्चर ही शाला के लेटर हेड एवं रसीद की पीडीएफ फाईल बनाई जाकर अपलोड की जाना है।

यह देखने में आ रहा है कि फीस कुछ ओर इंद्राज़ है एवं अपलोड किये गये दस्तावेज अलग है। ऐसी स्थिति में फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही नहीं हो सकेगी जिसकी जवाबदारी आपकी ही रहेगी।

उक्त दोनो कार्य हेतु आपको पूर्व से ही सूचित किया जाता रहा हैं कृपया सही जानकारी दर्ज की जाना सुनिश्चित करें।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन

क्रमांक / एसएसए / आरटीई / 2020 / 843 खरगोन, दिनांकः 28/07/2020

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
2. कलेक्टर, जिला खरगोन।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, खरगोन।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खरगोन।
5. विकासखण्ड स्रोत समन्वयक, विकासखण्ड समस्त।
6. समस्त नोडल अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, खरगोन